में जारी हुये

8/2/20

वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील अप्रार्थी को प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। वकील प्रार्थीगण का कहना है कि महकमा बन्दोबस्त द्वारा नक्शे में जो त्रुटि की गई है उसे शुद्ध किया जावे।

हमने दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। महकमा बन्दोबस्त द्वारा बिना किसी अधिकार आदेश के खसरा नं. 513 की मेड़ की A से B भाग खोल दिया तथा खसरा नं. 522 की मेड़ B से C भाग को बन्द कर दिया जबकि नक्शा किश्तवार में खसरा नम्बर 513 साबिक नम्बर 315 में पूरा खाना बन्द है तथा ख.नं. 522 का साबिक नम्बर 315 का खाना मेड़ पर खुला हुआ है उक्त नक्शा का ही बन्दोबस्त अधिकारियों को Repeat किया जाना चाहिए। जबकि उन्होंने ऐसा न कर नक्शा में त्रुटि व गलती की है जिसे धारा 136 LR Act के अन्तर्गत शुद्ध किया जा सकता है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act आंशिक रूप में स्वीकार किया जाना उचित समझते है

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ख.नं. 513 संलग्न नक्शा अक्स में B से C भाग को खोला जाकर आवश्यक दुरस्ती नक्शा अक्स में की जावे। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत नक्शा बन्दोबस्ती दिनांक 06.2.2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
	आदेश का भाग माना जावेगा। तहसीलदार राजाखेड़ा को नक्शा अक्श में शुद्धि हेतु परवाना जारी हो। हुकुम सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	